

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer
-----------------------------	---

09-12-17

प्रकरण नेशनल लोक अदालत दिनांक 09.12.17 में पेठा।

राज्य द्वारा एडीपीओ।

अभियुक्त सहित अधिवक्ता श्री विजय श्रीवास्तव।

फरियादी प्रभू उपस्थित।

प्रकरण राजीनामा हेतु नियत है।

फरियादी की ओर से राजीनामा हेतु अनुमति आवेदन पत्र मय लोक अदालत डॉकेट हस्ताक्षर कर प्रस्तुत किया गया। फरियादी की पहचान अधिवक्ता श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव एवं अभियुक्त की पहचान अधिवक्ता श्री विजय श्रीवास्तव ने की।

उभयपक्षों को सुना। प्रकरण का अवलोकन किया।

फरियादी ने अभियुक्त से राजीनामा बिना किसी भय, दवाब, लोभ-लालच के पारस्परिक संबंधों को मधुर रखने के आशय से किया जाना प्रकट किया है।


अभियुक्त पर भादवि० की धारा 294, 323 एवं 506 बी के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियोग है। उक्त धारा का आरोप न्यायालय की अनुमति से फरियादी द्वारा शमनीय है। पीठ सदस्यगण द्वारा प्रकरण में राजीनामा स्वीकार किए जाने की अनुशंसा की गयी। पक्षकारों के मधुर संबंध रखने के आशय एवं सामाजिक शांति बनाये रखने के आपराधिक प्रशासन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुये राजीनामा आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित दर्शित होता है।

अतः राजीनामा बाद तत्सदीक मय आवेदन पत्र के स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त को धारा 294, 323 एवं 506 बी भादवि० के अपराध आरोप से राजीनामा के आधार पर उपशमन की अनुमति प्रदान की जाती है जिसका प्रभाव अभियुक्त की दोषमुक्ति होगा। अभियुक्त के प्रतिभूति व बंधपत्र भारमुक्त किए जाते हैं।

प्रकरण में जब्तशुदा संपत्ति मूल्यहीन होने से नष्ट की जावे।

आदेश की प्रति पक्षकारों को निःशुल्क प्रदाय की जावे।

प्रकरण का परिणाम सुसंगत पंजी में दर्जकर अभिलेखागार भेजा जावे।



सदस्य

सदस्य


पीठासीन अधिकारी